

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 203/2022

1. पवनकुमार पुत्र कालूराम
2. चुनीलाल पुत्र स्मिस्थलाल
3. भागीरथ पुत्र लिखमाराम
4. लिखमाराम पि. पूराराम
5. मनीराम
6. पालाराम
7. बृजलाल
8. सहीराम

जाति मेघवाल साकिन चक 34 एस टी जी तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।



9. प्रेमकुमार पि. मुन्शीराम जाति भाट
10. रामकुमार
11. शेरसिंह पि. भजनसिंह जाति जटसिख
12. हाकमसिंह
13. मघरसिंह
14. गुरनामसिंह
15. भोलासिंह
16. सूबासिंह

साकिन चक 34 एस टी जी तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

17. नरेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जटसिख साकिन चक 34 एसटीजी
18. लखविन्द्रसिंह पुत्र गुरप्रेमसिंह तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

19. कालूराम पुत्र सुरजाराम
20. रामश्वर पुत्र जसराम
21. मांगीलाल पुत्र धन्नाराम
22. सुरजीतकुमार पुत्र बीरबलराम
23. भूपराम पुत्र औमप्रकाश
24. प्रभूराम पुत्र भूराराम
25. ताराचन्द पि. बृजलाल
26. मोहनलाल
27. अनिलकुमार
28. नरेन्द्र पुत्र चानणराम



प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा  
जिला हनुमानगढ़

बनाम

1. कृष्णलाल | पि. आशाराम  
2. फूलाराम  
3. साहबराम  
4. रणजीतराम

5. रूपराम | पि. भागीरथ  
6. देवीलाल

7. मोहनलाल | पि. नानकराम जाति सुथार साकिन चक 34 एस टी जी तहसील पीलीबंगा

8. चेताराम

9. हँसराज

10. रजीराम

11. शंकरलाल पुत्र नानकराम जाति सुथार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

12. सुलखनसिंह पुत्र चतरसिंह जाति कबोसिख साकिन मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

13. जेठीदेवी पत्नि नानकराम जाति सुथार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

14. जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा

15. जरिये शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

16. जरिये शाखा प्रबन्धक ओ बी सी शाखा पीलीबंगा

17. जरिये शाखा प्रबन्धक एम जी बी शाखा पीलीबंगा

18. जरिये शाखा प्रबन्धक यू को बैंक शाखा पीलीबंगा

19. जरिये शाखा प्रबन्धक पी एन बी शाखा पीलीबंगा

20. जरिये शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा पीलीबंगा

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।



तहसील पीलीबंगा  
जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम**

**-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-**

1. श्री जसपाल सिंह दहिया  
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा

प्रार्थीगण  
अप्रार्थी संख्या 21

**-:: निर्णय ::-**

दिनांक :- 9/7/24

प्रकरण श्रीमान निबंधक महोदय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण

**सहायक कलक्टर**

पीलीबंगा

जिला हनुमानगढ़



द्वारा जरिए वकील 251-क आरटीए का एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण वाके तहसील पीलीबंगा के गांव चक 34 एसटीबी के निवासी है। वाके तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 17/16 प.नं. 2/337(10) कि.नं. 11/2/0.139, 12, 13, 14/1/0.51, 15/2/0.228, 16, 18, 19 ता 23, 25 की 2.948 नहरी मय गै. मु. खाला कृषि भूमि अप्रार्थी नं. 7 ता 11 के पिता स्व. नानकराम पुत्र जीवनराम व अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के स्वयं के व अप्रार्थी नं. 13 के पति स्व. नानकराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। वाके तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 3/2 प. नं. 2/337 (10) किला नं. 14/2/0.202, 15/1/0.025, 17, 24 की कुल 0.733 है० नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी नं. 12 के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी है। वाके तहसील पीलीबंगा के चक 139 आर डी के खाता सं. 138/123 प. नं. 1/336 (22) किला नं. 21 व प. नं. 1/337 (27) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है० प. नं. 0/337 (28) किला नं. 11 ता 15 की 1.265 है० की कुल 7.843 है० नहरी मय रास्ता कृषि अप्रार्थी नं. 7 ता 10 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वाके तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 7/8 प. नं. 2/339 (21) किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 है० नहरी कृषि भूमि प्रार्थी सं. 9 व 10 के पिता मुन्शीराम व प्रार्थी नं. 17, 18 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। वाके तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 8 / 9 प. नं. 1/339 (22) किला नं. 13,14/1/0.126, 19 ता 21, 22/2/0.127 की 1.265 है० प. नं. 1/342 (34) किला नं. 6 की कुल 1.518 है० नहरी प्रार्थी नं. 28 के पिता चानणराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है।

वाके तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 21 / 21 प.नं. 1/341 (31) कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है० नहरी मय गै. रास्ता कृषि भूमि प्रार्थी सं 4 ता 8 के पिता पूराराम वल्द चौलाराम व प्रार्थी सं. 3 के दादा पूराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 28/23 प.नं. 1/340 (25) कि.नं. 5 ता 25 की 5.313 है० नहरी कृषि भूमि व प.नं. 2/340 (26) कि.नं. 10,11,20,21 की 1.012 है कुल 6.325 है नहरी कृषि भूमि प्रार्थी न 25 ता 27 के पिता स्व बृजलाल के नाम व प्रार्थी न 24 स्वयं के नामा से प्रार्थी न 2 के पिता के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 34/30 प.नं. 2/340(26) कि.नं. 1 ता 9,12 ता 19, 22 ता 25 की कुल 5.313 है० नहरी कृषि भूमि प्राथी न 20 का पिता जसराम व प्रार्थी न 20 का पिता जसराम व 22 का पिता बीरबलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 35/34 प.नं. 1/339(22) कि.नं. 5 ता 12, 14 ता 18, व प.नं. 1/340 (25) कि.नं. 1 ता 33/1, की कुल 2.998 है० नहरी कृषि भूमि प्रार्थी न 19 स्वय व प्रार्थी न 1 के पिता कालूराम व प्रार्थी न 21 के पिता धन्नाराम नाम दर्जा राजस्व रिकार्ड है।

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 47/39 प.नं. 0/342(33) कि. नं. 11 ता 25, व प.नं. 1 / 343 (37) कि.नं. 3,4,5 प.न. 0/343 (38) कि.न.1 ता 5, 7 ता 12 की कुल 5.831 है० नहरी कृषि भूमि प्रार्थी न 23 के पिता औमप्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड है।

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 52/42 प.नं. 2/341(30) कि. नं. 1 ता 13/1 की कुल 3.162 है० नहरी कृषि भूमि प्रार्थी न. 1 का पिता प्रार्थी न 19 स्वय कालूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं 54/45 प.नं. 0/338 (11) कि. नं. 24/2, व 25 व प.नं. 1/338 (12) कि.नं. 16 ता 25 की 2.530 है व प.नं. 1/339 (22) कि.नं. 1,2,3,4, व प.नं. 0/339(23) कि.नं. 1 ता 5, 8 ता 10 की कुल 5.945 नहरी कृषि मय खाला रास्ता प्रार्थी न 11 ता 16 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

बुधवार 14/05/2019



यह कि प्रार्थीगण उक्त अनुसार प्रार्थना पत्र की दफा 6 ता 14 मे वर्णित अनुसार प्रार्थीगण चक 11 एसटीबी का प.नं. 2/339(21) व प.नं. 1/339 (22) व प.नं. 1/342(34) व प.नं. 1/341 (31) व प.नं. 1/340 (25) व प.नं. 2/340 (26) व प.नं. 0/342(33) व प.नं. 1/343 (37) व प.नं. 0/343 (38) व प.नं. 2/341(30) व प.नं. 0/338(11) व प.नं. 1/338 (12) व प.नं. 0/339 (23) के काश्त कारान व खातेदारान है। जो तहसील पीलीबंगा के ग्राम चक 34 एस टी जी (चक 11 एस टी बी ) के निवासीयान व काश्तकारान है। जो अपनी अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली व उन्ट गाडा बैल गाडी आदि वाहनो को लाकर लेजाकर व पैदल चल कर आना जाना कर रहे है। जो अपनी अपनी उक्त कृषि भूमि से आकर उक्त चक 11 एस टी बी का प.नं. 1/338 (12), प.नं. 1 / 339 (22), प.नं. 1/340 (25), प.नं. 1/341 (31) व प.नं. 1/342 (34) के प्रत्येक मुरब्बा का कि.नं. 5,6,15,16,25 के प्रत्येक बीघा में उत्तर-दक्षिण लम्बा व पूर्व पश्चिम 2 बिस्वा चौडा रास्ता में से होकर स्वीकृत शुदा रास्ता चालू है। जो कि तहसील पीलीबंगा का चक 11 एस टी बी का प. नं. 2/337 (10) कि.नं.21/025, 22/025, 23/025, 24/025, 25/025 कुल 0.125 है रास्ता जो इन बीघों में दक्षिण दिशा की सीव पर 5 बीघा पूर्व-पश्चिम लम्बा व 2 बिस्वा उत्तर-दक्षिण चौडा रास्ता ह। व चक 139 आर डी का प.न. 1/337 (27) कि.नं.25/003 है रास्ता इस बीघा की दक्षिण-पश्चिम कोणा पर पूर्व दिशा से आकर पश्चिम से दक्षिण दिशा की और 2 बीस्वा चौडाई मे घूम कर चालू रास्ता है। जिसे स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के अपने उक्त कृषि भूमि मे आने जाने के लिये नही है। यह रास्ता चक 11 एस टी बी प.न. 1/338 (12) के कि.न. 5,6,15,16,25 के प्रत्येक बीघा मे उत्तर दक्षिण लम्बा व पूर्व पश्चिम 2 बीस्वा चौडा स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में आकर मिलता हुआ रास्ता चालू है। जिसमे से प्रार्थीगण व आम जन साधारण आना जाना काफी लम्बे समय से बतौर रास्ता करते चले आ रहे है। उक्त अनुसार रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाना आवश्यक है। उक्त स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता की एवज मे प्रार्थीगण श्रीमान जी के आदेशनुसार व सरकारी इन्डेक्स रेट अनुसार अप्रार्थीगण को राशि (रूपये) अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे-

(क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 11 एस टी बी का पं. नं. 2/337(10) कि.न. 21/ 025, 22 / 025, 23 / 025,24 / 025,25 / 025 कुल 0.125 है. रास्ता व चक 139 आर डी का प. नं. 1/337 (27), कि.नं.25/003 है इस प्रकार कुल 0.128 है गै. मु. को रास्ता आम स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया को जावे।

(ख) जो तहसील पीलीबंगा का चक 11 एस टी बी का प.न. 2/337 (10) कि.न. 21/.025, 22/.025, 23/.025, 24/.025, 25/.025 कुल 0.125 है रास्ता इन बीघों में दक्षिण दिशा की सीव पर 5 बीघा पूर्व-पश्चिम लम्बा व 2 बीस्वा उत्तर-दक्षिण चौडा रास्ता है व चक 139 आर डी का प.न. 1/337 (27) कि.न. 25/003 है रास्ता इस बीघा की दक्षिण-पश्चिम कोणा पर पूर्व दिशा से आकर पश्चिम से दक्षिण दिशा की और 2 बीस्वा चौडाई मे घुम कर चक 11 एस टी बी का प.न. 1/338(12) कि.न. 5,6,15,16,25 के प्रत्येक बीघा मे उत्तर-दक्षिण लम्बा व पूर्व पश्चिम 2 बीस्वा चौडा स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में आकर मिलता हुआ रास्ता आम स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया को जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2018 को उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय गुणोवगुण के आधार पर अन्तिम निर्णय किया जाकर तहसील पीलीबंगा का चक 11 एस टी बी का पं. नं. 2/337(10) कि.न. 21/.025, 22/.025, 23/.025, 24/.025, 25/.025 कुल 0.125 है. रास्ता व चक 139 आर डी का प. नं. 1/337(27), कि.नं.25/.003 है इस प्रकार कुल 0.128 है गै. मु. को रास्ता आम स्वीकृत किया गया जो तहसील पीलीबंगा का चक 11 एस टी बी का प.न.

प्रार्थीगण

पीलीबंगा

चक 11 एस टी बी



2/337(10) कि.न. 21/.025, 22/.025, 23/.025, 24/.025, 25/.025 कुल 0.125 है रास्ता इन बीघों ने दक्षिण दिशा की सीव पर 5 बीघा पूर्व-पश्चिम लम्बा व 2 बीघा उत्तर-दक्षिण चौड़ा रास्ता है व चक 139 आर डी का प.न. 1/337(27) कि.न. 25/003 है रास्ता इस बीघा की दक्षिण-पश्चिम कोणा पर पूर्व दिशा से आकर पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर 2 बीघा चौड़ाई में घुमकर चक 11 एस टी बी का प.न. 1/338 (12) कि.न. 5,6,15,16, 25 के प्रत्येक बीघा में उत्तर-दक्षिण लम्बा व पूर्व पश्चिम 2 बीघा चौड़ा स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में मिलता हुआ रास्ता स्वीकार किया गया जिसमें प्रतिकर के रूप में डीएलसी की दूगना राशी जमा करवाये जाने के आदेश पारित किये गए।

प्रकरण में निर्णय उपरान्त मा. राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को अप्रार्थीगण द्वारा 2 अपीलें अपील संख्या 2018/00424 व अपील संख्या 2018/00491 प्रस्तुत की गई बाद निर्णय माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त दोनों अपीलें निर्णय दिनांक 01.11.2019 खारिज की जा चुकी है एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2018 यथावत रखा गया है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 01.11.2019 के विरुद्ध निगरानी मा. निबंधक महोदय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां दायर की गई है जिसमें मा. न्यायालय द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति में स्वयं अथवा तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करावें। तत्पश्चात प्रस्तुत आपतियों पर विचार कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान को सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौका एवं रिकार्ड के संबंध में तहसीलदार पीलीबंगा को रिपोर्ट तलब की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाली भूमि से संबन्धित खाते के समस्त काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता ही सबसे कम दूरी का रास्ता है। प्राथी द्वारा चाहे गये रास्ता प.न. 1/337 के कि.न. 25 में दक्षिण पूर्वी कोना में 0.003 हैक्ट. माँगा गया है जो मौके पर चालू होना बताया गया है।

### आदेश

मा. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशों की पालना में प्रकरण में हमारे स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण किया गया। प्रकरण में पूर्व आदेश निर्णय दिनांक 16.08.18 के निर्णय अनुसार में मौका पर चक 11 एस टी बी का प.न. 2/337 (10) कि.न. 21/.025, 22/.025, 23/.025, 24/.025, 25/.025 कुल 0.125 है रास्ता इन बीघों में दक्षिण दिशा की सीव पर 5 बीघा पूर्व-पश्चिम लम्बा व 2 बीघा उत्तर-दक्षिण चौड़ा रास्ता है व चक 139 आर डी का प. न. 1/337 (27) कि.न. 25/003 है रास्ता इस बीघा की दक्षिण-पश्चिम कोणा पर पूर्व दिशा से आकर पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर 2 बीघा चौड़ाई में घुम कर चक 11 एस टी बी का प.न. 1/338(12) कि.न. 5,6,15,16,25 के प्रत्येक बीघा में उत्तर-दक्षिण लम्बा व पूर्व पश्चिम 2 बीघा चौड़ा स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में आकर मिलता हुआ रास्ता आम मौका पर चालू है जिसमें से चक 11 एस टी बी का प.न. 2/337 (10) कि.न. 21/.025, 22/.025, 23/.025, 24/.025, 25/.025 कुल 0.125 है रास्ता इन बीघों में दक्षिण दिशा की सीव पर 5 बीघा पूर्व-पश्चिम लम्बा व 2 बीघा उत्तर-दक्षिण चौड़ा रास्ता है राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है जो मौका पर चालू है। चक 139 आर डी का प.न. 1/337(27) कि.न. 25/003 है रास्ता इस बीघा की दक्षिण-पश्चिम कोणा पर पूर्व दिशा से आकर पश्चिम से दक्षिण दिशा की

सहायक कलेक्टर

पीलीबंगा

दिनांक 12.11.2019

और 2 बिस्वा चौड़ाई में घुमकर स्वीकृत शुदा रास्ता से मिलाता है जो कि कोर्नर है वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं है। उक्त प्रकरण में रास्ता प्रार्थना पत्र केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। रास्ता आम रास्ता है जो कि पूर्व निर्णय अनुसार वर्तमान में मौका पर चालू है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-क आरटीए के तहत स्वीकृत किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एस टी बी का पं. नं. 2/337(10) कि.न.21/.025, 22/.025, 23/.025, 24/.025, 25/.025 कुल 0.125 है। रास्ता व चक 139 आर डी का प. नं. 1/337(27), कि.न.25/.003 है इस प्रकार कुल 0.128 है गै. मु. को रास्ता आम स्वीकृत किया गया जाता है जो कि तहसील पीलीबंगा का चक 11 एस टी बी का प.न. 2/337(10) कि.न. 21/.025, 22/.025, 23/.025, 24/.025, 25/.025 कुल 0.125 है रास्ता इन बीघों ने दक्षिण दिशा की सीव पर 5 बीघा पूर्व-पश्चिम लम्बा व 2 बीस्वा उत्तर-दक्षिण चौड़ा रास्ता है व चक 139 आर डी का प.न. 1/337(27) कि.न. 25/003 है रास्ता इस बीघा की दक्षिण-पश्चिम कोणा पर पूर्व दिशा से आकर पश्चिम से दक्षिण दिशा की और 2 बिस्वा चौड़ाई में घुमकर चक 11 एस टी बी का प.न. 1/338 (12) कि.न. 5,6,15,16.25 के प्रत्येक बीघा में उत्तर-दक्षिण लम्बा व पूर्व पश्चिम 2 बोस्वा चौड़ा स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में मिलता हुआ रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में यदि प्रतिकर राशी पूर्व आदेशों की पालना में खजाना राज में जमा नहीं है तो जमा करवाया जाकर किसी प्रकार का स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 9/7/25 सुनाया गया।



(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम  
पदेन सहायक कलेक्टर,  
पीलीबंगा जिला इन्फ्रामा